



संदर्भ सं.: एफएफवी -2020-21-000012

दिनांक: 21.11.2022

परिपत्र

भारत से रूस को फलों और सब्जियों का निर्यात

यह परिपत्र काँन्सिल ऑफ द यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन , रशिया (Council of the Eurasian Economic Commission, Russia) के दिनांक 30 नवंबर, 2016 सं. 157 के निर्णय द्वारा अनुमोदित एकीकृत आवश्यकताओं के संदर्भ में है जहाँ कुछ फलों और सब्जियों के निर्यात के लिए अतिरिक्त घोषणा की आवश्यकता होती है कि 'विनियमित उत्पाद कीट मुक्त क्षेत्र, स्थान और (या) उत्पादन स्थल' में उत्पादित होते हैं।

एनपीपीओ रूस ने दिनांक 07.06.2022 के अपने पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है कि कीट मुक्त क्षेत्रों में उत्पादित होने वाले फलों और सब्जियों की आवश्यकता निम्न पर लागू नहीं होती है जैसे कि केला, पपीता, अनानास, संतरे सहित ताजे खड़े फल , बैंगन, भिंडी, करेला, कद्दू, हरी मिर्च, प्याज, सोयाबीन। इन फलों और सब्जियों को भारत के कीट मुक्त क्षेत्रों में उत्पादित होने की अतिरिक्त घोषणा के बिना आयात किया जा सकता है। अतिरिक्त घोषणा टमाटर , आलू, शलजम, मूली, अनार, गाजर सहित कुछ चयनित फलों और सब्जियों के लिए ही अपेक्षित है।

इच्छुक निर्यातकों से अनुरोध है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और रूस को फलों और सब्जियों के निर्यात की आवश्यकता का अनुपालन करें।

यू. के. वत्स

महाप्रबंधक